

## प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

<p>18 राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)</p>	<p>18 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कुली से गाताबारा मार्ग के निर्माण हेतु 4.86 हेक्टेयर वन भूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बड़वानी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।</p>
--	---

दिनांक: ३०/३/१९  
स्थान: भोपाल

  
(कैंटन अनिल कुमार खरे)  
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)  
सचिव  
साचेव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)